राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(5) वित्त/राजस्व/14 जयपुर, दिनांकः– 24.11.2020

आज्ञा

श्री महावीर प्रसाद मीणा, तत्कालीन वरिष्ठ लेखाधिकारी, आर डब्ल्यू एस आर पी जल संसाधन विभाग, जयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अंतर्गत विभागीय जांच बकाया होने के कारण दिनांक 30.09.2014 को सुपर टाइम सेवा संवर्ग की आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति ने इनकी वर्ष 2014–15 के लिए सुपर टाइम सेवा संवर्ग में पदोन्नति अभिशंषा को बंद लिफाफे में रखे जाने की अनुशंषा की गई थी।

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.1(75) कार्मिक/क–3/जांच/2011 दिनांक 28.06.17 के द्वारा श्री मीणा को विभागीय जांच से दोषमुक्त किये जाने के कारण राजस्थान लेखा सेवा नियम 1954 के नियम 28 के उपनियम (6) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा के चयन सेवा संवर्ग में स्थायी रूप से नियुक्त श्री महावीर प्रसाद मीणा को दिनांक 01.04.2014 की रिक्ति तिथि/पद उपलब्धता की तिथि से वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्व उक्त नियमों के नियम, 28 (ए) के उप नियम 7(सी) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के सुपर टाइम सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता हैं।

श्री मीणा की वरीयता वर्ष 2014–15 में सुपर टाइम सेवा संवर्ग में चयनित श्री लीलाराम मीणा (अजजा) एवं श्री ओमप्रकाश मीणा (अजजा) के मध्य रहेगी।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

आज्ञा से,

(नीलेश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव